दिल्ली में राशन व्यवस्था (पीडीएस)

या

नकद हस्तांतरण पर लोगों की राय का सर्वेक्षण

मई 2011

रिपोर्ट का सारांश

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान, दिल्ली

विषय सूची..पृष्ट

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान, दिल्ली का सर्वेक्षण...3

मिशन कन्वर्जेंस के मानदण्ड...3

सर्वेक्षण का निष्कर्ष...3

मुख्य व्यवसाय..4

राशन कार्ड के प्रकार...4

राशन तक पहुँच..5

नकद आधारित कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच...6

राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार..7

राशन कार्ड का उपयोग...7

लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण...............................8

Appendix 1 List of organisations involved in the survey………………….…………. 9

Appendix 2 List of areas where the survey was conducted……………………………..9

तालिकाओं की सूची

तलिका 1 परिवारों का वितरण राशन कार्ड के आधार पर...5

तालिका 2 परिवारों का वितरण राशन के नियमितता के आधर पर...5

तलिका 3 गेहूँ और चावल की मात्रा के आधार पर परिवारों का वितरण...6

तलिका 4 विभिन्न कार्डधारकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशन की मात्रा..6

तलिका 5 राशन न मिलने का कारण...6

तालिका 6 नकद आधरित कल्याणकारी योजनाएँ...7

तालिका 7 नकद आधरित कल्याणकारी योजनाओं की समस्यायें..7

तालिका 8 राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए सुझाव..7

तालिका 9 राशन कार्ड के अन्य उपयोग...8

तालिका 10 कार्ड के आघर पर लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण......8

तालिका 11 व्यवसाय आधार पर लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण......8

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान, दिल्ली का सर्वेक्षण

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली, खाद्य सुरक्षा से संबंधित विशेषकर राशन व्यवस्था (पीडीएस) के मुद्दो पर काम करने वाले 30 संगठनों का एक नेटवर्क है। राशन व्यवस्था (पीडीएस) में कई समस्यायें हैं किन्तु हाल ही में दिल्ली सरकार राशन व्यवस्था (पीडीएस) को समाप्त कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाने का प्रयास किया है। इसके तहत योग्य लागों को उनके बैंक खाते में एक निश्चित् मासिक राशि दी जाएगी जिसे वे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकेगें। सरकार ये तर्क दे रही है कि इससे लीकेज कम होगा और उसका वित्तीय बोझ भी कम होगा। **सेवा** तथा **इंडिया डेवलपमेंट फाउण्डेसन** के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने **यू एन डी पी** की वित्तीय सहायता से रघुवीर नगर में 100 परिवारों पर इस पायलॉट परियोजना को चला रही है। इसके तहत इन 100 परिवारों को राशन के बदले प्रति माह रू1,000 दिये जाएगें। इस पायलॉट परियोजना का परिणाम आना अभी बाकी है।**रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली** ने लोगों की प्राथमिकताएँ समझने के लिए 4005 परिवारों का सर्वेक्षण किया इसमें दिल्ली के विभिन्न झुग्गी बस्तियों, पूनर्वास कॉलोनियों एंव बेघर व्यक्तियो को शामिल किया गया था।

मिशन कन्वर्जेस के मानदण्ड

दिल्ली सरकार ने मिशन कन्वर्जेस के तहत गरीब तथा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की पहचान के लिए जो मापदण्ड अपनाये हैं, वह आवास की स्थिति, समाजिक स्थिति एवं पेशा या रोजगार के आधर पर तय की गई है। प्रथम स्तर के पहचान का आधार व्यक्ति / परिवार के आवास की स्थिति के आधार पर किया गया है। इसके आधार पर इन्हें **"कमज़ोर वर्ग"** (vulnerable) या **"अत्यन्त कमज़ोर वर्ग"**(most vulnerable) कहा गया है, ये हैं:–

(i) बेघर तथा असुरक्षित *(precariously)* घरों के निवासी।

(ii) अधिसूचित *(notified)* झुग्गी निवासी।

(iii) गैर–अधिसूचित *(non-notified)* झुग्गी निवासी।

(iv) *F, G* तथा *H* श्रेणी के पुनर्वासित कॉलोनियों के निवासी।

(v) अन्य श्रेणियों के कॉलोनियों के षहरी कमज़ोर वर्गों की पहचान उनके समस्याओं के आधार *(case to case basis)* पर किया जाएगा।

ये सर्वे उपरोक्त क्षेत्रों में ही करायी गई है और इन सभी उत्तरदाताओं को मिशन कन्वर्जेस के अनुसार **"कमज़ोर वर्ग"** में माना गया है। मिशन कन्वर्जेस आगे ये उल्लेख करती है कि इसमें **"पेशेवर रूप से कमज़ोर वर्ग"**(Occupationally Vulnerable Groups[1]) भी शामिल है एवं ये बीपीएल के लिए योग्य है। किन्तु मिशन कन्वर्जेस के तीन चरणो के सर्वे होने के बाद भी इन लागों को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।

इस सर्वे से मिशन कन्वर्जेस के समाजिक सुविधा संगम (GRCs) द्वारा कराये गए सर्वे की सच्चाई पर भी गंभीर सवाल उठते हैं क्योकि सिर्फ 28.7% उत्तरदाताओं का कहना था कि मिशन कन्वर्जेस के समाजिक सुविधा संगम (GRCs) द्वारा उनका सर्वे हुआ है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योकि मिशन कन्वर्जेस के समाजिक सुविधा संगम (GRCs) द्वारा सर्वे जनगणना की तरह प्रत्येक परिवार का होना चाहिए।

सर्वेक्षण का निष्कर्ष

---

[1] ***"पेशेवर रूप से कमज़ोर वर्ग" (Occupationally Vulnerable Groups)*** *:– वे परिवार जो प्रमुख रूप से स्वरोजगार, अनिश्चित मजदूरी, अनियमित रोज़गार, अस्वास्थ्यकर तथा खतरनाक कार्य स्थिति एंव बंधुआ, अर्द्धबंधुआ या असम्मानित तथा उमसदार (oppressive) स्थिति में काम करते हों। इनमें शामिल हैं:– (1)कुड़ा उठाने वाले, (2)अकुशल निर्माण मजदूर, (3)कुली एंव हम्माल, (4)दिहाड़ी मजदूर, (5)रेहड़ी / पटरी वाले, (6)घरेलु नौकर, (7)साईकल रिक्शा वाले, (8)छोटे घरेलु उद्यम (enterprises) में लगे अकुशल मजदूर, (9)घरेलू उद्योग में लगे अकुशल मजदूर।*

मुख्य व्यवसाय

वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार 47.6% परिवार प्रमुखों का मुख्य व्यवसाय दिहाड़ी मजदूरी थी जबकि 18.3% नौकरी करते थे जिन्हे मासिक वेतन मिलता था, 17.1% स्वरोज़गार थे तथा 14.7% उत्तरदाताओं का कहना था कि वे बेरोज़गार हैं।

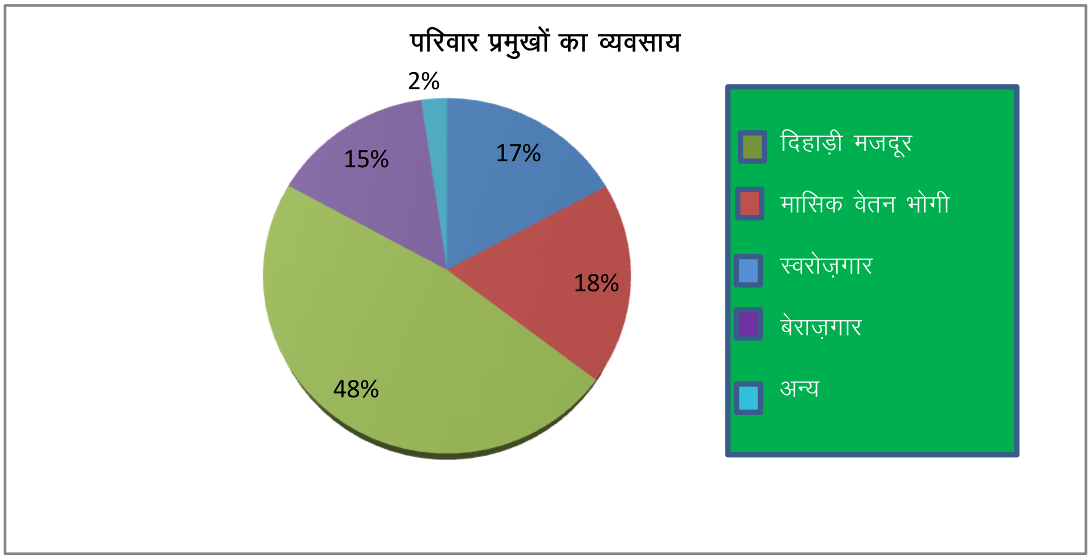

राशन कार्ड के प्रकार

सभी उत्तरदाताओं में से 17.3% के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था और 3% लोगों को मालुम ही नहीं था कि उसके पास किस प्रकार का कार्ड है। 40% उत्तरदाताओं के पास एपीएल कार्ड, 24% के पास बीपीएल कार्ड 10% के पास अन्त्योदय कार्ड, 2% के पास अन्नपूर्णा कार्ड तथा 4% के पास अस्थाई कार्ड था। जिन लागों के पास राशन कार्ड नहीं थे उन में से कई लोगों के राशन कार्ड हाल ही में रद्द कर दिए गए थे।

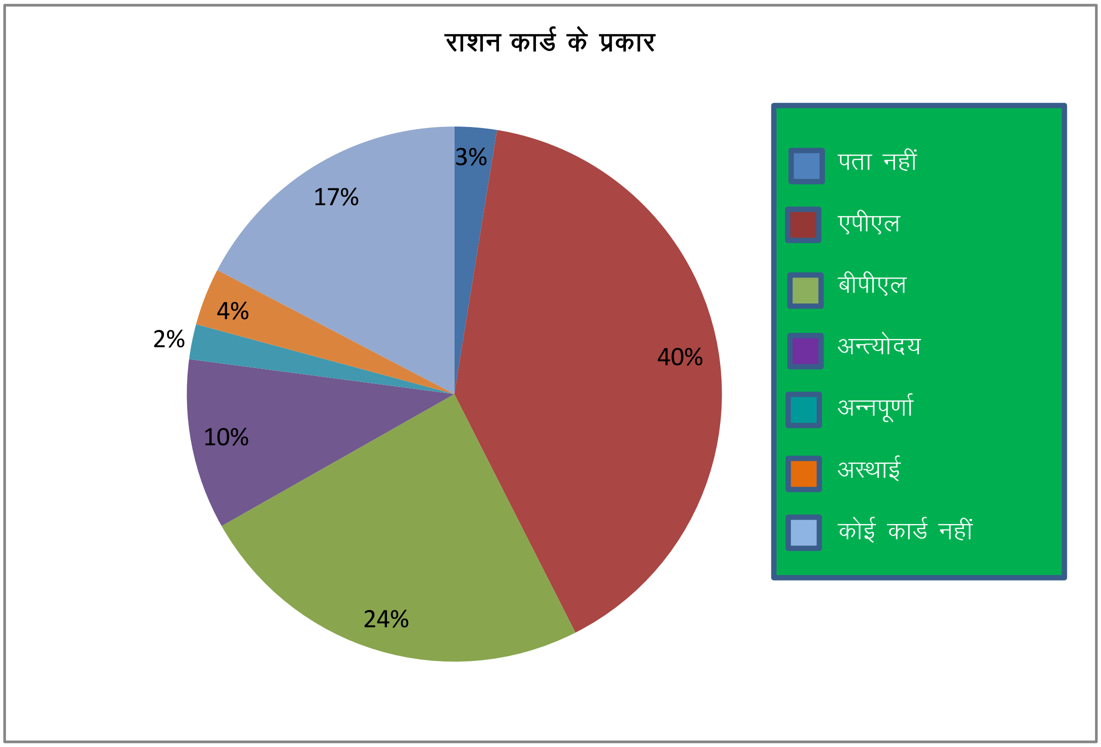

पहले एपीएल के लिए कोई आय सीमा निर्धरित थी किन्तु दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की के जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रू से कम है उसके कार्ड पर स्टाम्प लगाए जाएगें और स्टाम्प वाले कार्ड पर ही राशन मिलेगा। कुछ एपीएल कार्डधारियों का सर्वे किया गया और लालफीताशही के कारण उनके कार्डों को स्टाम्पड नहीं किया गया जबकि वे इसके हकदार थे। इसके अतिरिक्त वैसे लोग भी थे जिनका राशन कार्ड खोगया था या जिनके परिवार प्रमुख की मृत्यु हो चुकी थी किन्तु उनका कार्ड उनके नाम पर स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

यदि हम उन दिहाड़ी मजदूरों को **"पेशेवर रूप से कमज़ोर वर्ग"** में शामिल करते हैं तो मिशन कन्वर्जेंस के मानदण्ड के अनुसार 47.6% उत्तरदाता बीपीएल के योग्य हैं। जबकि हम इसमें देखते है कि किस प्रकार बीपीएल कार्डों का वितरण किया

गया है, इन दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 31.5% के पास बीपीएल कार्ड है इसके साथ ही 22.9% बेतन भोगी के पास भी बीपीएल कार्ड पाया गया। बड़ी संख्या में स्वरोजगार करने परिवार थे जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था। इस प्रकार ये साबित होता है कि वर्तमान लक्षित प्रणाली मे बीपीएल के पहचान की गड़बड़ी के कारण बहुत से गरीब और कमजोर वर्ग बीपीएल की श्रेणी में नहीं आ पाते है।

तलिका 1 परिवारों का वितरण राशन कार्ड के आधार पर

		राशन कार्ड के प्रकार						
		एपीएल	बीपीएल	अन्त्योदय	अन्नपूर्ण	अस्थई	कोई कार्ड नहीं	कुल
परिवार का व्यवसाय	स्वरोज़गार	39.1	18.3	5.1	0.2	0.5	37.4	100
	वेतनभोगी	54.1	22.9	9.3	0.2	0.5	13.5	100
	दिहाड़ी मजदूर	37.5	31.5	13.4	4.7	7.0	12.8	100
	बेरोज़गार	48.7	24.0	13.4	0.8	2.9	13.2	100
	अन्य	43.9	20.7	7.3	1.2	4.9	26.8	100

सभी आँकड़े प्रतिशत में है

राशन तक पहुँच

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न का आवंटन बीपीएल के आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है जिसका आधार योजना आयोग के अनुमान के अनुसार होता है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार दिल्ली में लगभग 4.09 लाख बीपीएल और अंत्योदय परिवार है (वर्तमान में 14.7% गरीबी अनुपात के अधार पर दिल्ली को खद्यान्न आंटित किया जाता है) एनएसएस के आँकड़े के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सिर्फ 27.5% के पास ही बीपीएल कार्ड है। इस प्रकार दिल्ली में राशन की सबसे बड़ी समस्या बीपीएल की पहचान और इस में शामिल न करने की त्रुटियां है। इसमें यह भी देखा गया कि बहुत से ऐसे गरीब थे जिनके पास किसी प्रकार का कोई कार्ड नहीं था। नकद हस्तांतरण इस समस्या का हल नहीं कर सकता है।

जिन के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड था उनमें से 59.5% को नियमित राशन मिल रहा था, जबकि 23.1% को अनियमित राशन मिल रहा था और 15.8% के पास राशन कार्ड होते हुए भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा था।

तालिका 2 परिवारों का वितरण राशन के नियमितता के आधर पर

राशन की नियमितता	उत्तरदाता परिवारों का प्रतिशत
नियमित	59.5
अनियमित	23.1
नहीं मिलता है	15.8

जहां तक पीडीएस से मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा का संबंध है तो इसमें सिर्फ 37.4% का कहना था कि उन्हें पूरे 35 किलो अनाज मिलते हैं(कुछ उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें 35 किलो से अधिक अनाज मिलता है, ऐसा पिछले साल अक्टूबर के एक आदेश के अधार पर हुआ है जिसके तहत बीपीएल को 35 किलो गेहूँ और 14 किलो चावल अर्थात् 49 किलो देने का प्रावधान है, किन्तु बहुत से लोगों को ये पता नहीं है) 22.5% का कहना था कि उन्हें 26 से 34 किलो के बीच तथा 30.8% को 15 से 25 किलो के बीच अनाज मिलते हैं।

तलिका 3 गेहूँ और चावल की मात्रा के आधार पर परिवारों का वितरण

पिछली बार राशन में मिले चावल और गेहूँ की मात्रा	परिवारों का प्रतिशत
15 किलो से कम	9.2
15 से 25 किलो	30.8
26 से 34 किलो	22.5
35 किलो	32.0
35 किलो से अधिक	5.4

एपीएल, बीपीएल तथा अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है जबकि अन्नपूर्णा पे 10 किलो और अस्थाई कार्ड पे 15 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है। हमने इसमें पाया कि लगभग 40प्रतिशत बीपीएल कार्डधरक ही 35 किलो अनाज ले पाते हैं इसका विवरण निम्न तालिका में हैः

तलिका 4 विभिन्न कार्डधारकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशन की मात्रा

प्राप्त की गई मत्रा	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कुल(एपीएल +बीपीएल+ अंत्योदय)
15 किलो से कम	2.7	0.3	0.6	1.4
15 से 25 किलो	56.9	17.3	10.8	33.3
26 से 34 किलो	19.8	30.6	21.8	24.4
35 किलो	18.9	39.8	64.5	35.0
35 किलो से अधिक	1.7	12.1	2.3	5.9

सभी आँकड़े प्रतिशत में है

लोगों को राशन नहीं मिलने के कई कारण थे जिसमें सबसे सामान्य कराण (29.9प्रतिशत) कार्ड पर स्टाम्प का न होना था।

तलिका 5 राशन न मिलने का कारण

राशन न मिलने का कारण	राशन न मिलने वालों का प्रतिशत
कार्ड पर स्टाम्प नहीं है	29.9
बायोमेट्रिक नहीं हुआ है	17.1
दूकानदार मना कर देता है	22.2
कार्ड रद्द कर दी गई है	8.2
राशन कार्ड दूबारा जारी नहीं किया गया है	15.7
छूकान बंद रहती है	7.0

लगभग 17% का कहना था कि उन्हे राशन न मिलने का कारण है कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, उसी तरह 8.2% का कहना था कि उनकी कार्ड रद्द कर दी गई है, 22.2% का कहना था कि दूकानदार मना कर देता है उसी प्रकार 15.7% का कहना था कि उनका कार्ड दूबारा जारी नहीं हुआ, जबकि 7% का कहना था कि दूकान हमेशा बंद रहती है।

नकद आधारित कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच

सभी उत्तरदाताओं से पुछा गया कि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य नकद आधरित कल्याणकारी योजनाओं का लाभधारी हैं, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि नकद हस्तांतरण के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि इसमे लीकेज अथवा दिक्कतें कम आती है।

तालिका 6 नकद आधरित कल्याणकारी योजनाएँ

पेंशन के प्रकार	लाभधारियों की संख्या	लाभधारियों का प्रतिशत जिन्हे नियमित रूप से पेंशन मिलता है
विधवा पेंशन	257	62.6
वृद्धा पेंशन	239	64.0
विकलांगता पेंशन	70	30.0

उपरोक्त में से एक तिहाई का कहना था कि उन्हें नियमित पेंशन नहीं मिलता है।

तालिका 7 नकद आधरित कल्याणकारी योजनाओं की समस्यायें

समस्यायें	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
बैक खता खोलने में दिक्कत	43.1
दस्तावेज़ जमा करने में दिक्कत	40.5
बिचौलियों की समस्या	42.3
आवेदन करने में दिक्कत	31.8
बैक अधिकारियो के कारण दिक्कत	28.1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 43 प्रतिशत लोगों को बैक खता खोलने में दिक्कत होती है इससे यह भी स्पष्ट है कि नकद आधरित कल्याणकारी योजनाओं में भी पीडीएस से मक समस्या नहीं है।

राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार

राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए कई सुझाव आए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इसका सर्वव्यापीकरण करना 87.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मत था। इसे सुधारने के लिए उत्तरदाताओं का सुझाव निम्न तालिका में हैः

तालिका 8 राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए सुझाव

राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए सुझाव	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
20 लोगों के शिकायत पर राशन दूकान रद्द होनी चाहिए	88.3
समुदाय के मूल्यांकन के आधार पर दूकानदार के लाईसेंस का प्रति वर्ष नवीनीकरण हो।	89.9
75 किलो अनाज और 50लीटर मिट्टी का तेल की चोरी पे दूकानदार के विरूद्ध एफ आई आर हो और उसका लाईसेंस रद्द की जाए।	87.0
सामुहिक रसोई की व्यवस्था हो और बेघरों को राशन कार्ड दिए जाए	87.6
राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल की जाए	88.7
राशन दूकानदारों को अपना व्यवहार बदलना चाहिए	89.0
राशन व्यवस्था का सर्वव्यापीकरण हो(एपीएल और बीपीएल के अंतर को समाप्त करना चाहिए)	87.4
प्रयाप्त तथा सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली	86.5
राशन दूकान संबंधी सूचना अनिवार्य हो	82.7

राशन कार्ड का उपयोग

राशन कार्ड का उपयोग सिर्फ राशन के लिए ही नहीं होता है बल्कि इसका प्रयोग लोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं जैसे कि पहचान पत्र इत्यादी के रूप में उत्तरदाताओं के इस पर विचार निम्न तालिका में हैः

तालिका 9 राशन कार्ड के अन्य उपयोग

राशन कार्ड के अन्य उपयोग	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
पहचान के रूप में	74.5
सरकारी योजनाओं में लाभ पाने के लिए	63.4
बिजली के कनेक्शन के लिए	68.6
ड्राइविंग लाईसेंस के लिए	57.8
बैंक में खाता खोलने के लिए	63.3

लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण

उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि आपको पता है सरकार राशन व्यवस्था (पीडीएस) के बदले नकद हस्तांतरण करने वाली है तो कई उत्तरदाताओं को ये पता नहीं था सिर्फ 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही इस योजना के बारे में पता था। उत्तरदाताओं से जब ये पूछा गया कि आप राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण तो अधिकतर 90 प्रतिशत का कहना था कि वे राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार चाहते हैं

तालिका 10 कार्ड के आघर पर लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण

प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण	उत्तरदाताओं की प्राथमिकता				
	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कोई कार्ड नहीं	कुल
राशन व्यवस्था (पीडीएस) की जगह नकद हस्तांतरण	7	3.6	5.8	3	5.0
नकद हस्तांतरण की जगह राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार	90.1	94.5	91.7	87.9	91.4
कोई राय नहीं	2.9	1.9	2.4	9.1	3.6

अगर हम पेशे के आधर पर देखें तो अधिकतर(92.4%) दिहाड़ी मजदूर राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार चाहते थे। ये निम्न तालिका से स्पस्ट हैः

तालिका 11 व्यवसाय आधार पर लोगों की प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण

प्राथमिकता राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार या नकद हस्तांतरण	स्वरोज़गार	वेतनभोगी	दिहाड़ी मजदूर	बेरोज़गार
राशन व्यवस्था (पीडीएस) की जगह नकद हस्तांतरण	5.2	6.3	4.3	5.6
नकद हस्तांतरण की जगह राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार	92.3	90.4	92.4	90.5
कोई राय नहीं	2.5	3.3	3.2	4

अंततः अध्ययन से ये बात सामने आई है कि दिल्ली में प्रभावी राशन प्रणली के लिए राशन व्यवस्था में व्यापक सुधर की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त अनुभव से ये पता चला कि नकद हस्तांतरण की योजनाओं के वितरण में समस्याओं की भरमार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीपीएल के सर्वे का है, जिसमें मनमाने तरीके से इनकी पहचान कर कार्ड जारी किए जाते हैं, दूसरी समस्या यह है कि सरकार लोगों को बिना बताए या उचित व्यवस्था किए बिना ही लगातार नीतियों में परिवर्तन (जैसे कार्डो का स्टापिंग, बायो मेट्रिक आदि) करती रहती है जिसके परिणमस्वरूप लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

Appendix 1 List of organisations involved in the survey

1. Akhil Bhartiya Janwadi Mahila Samiti
2. Association for Social Justice and research
3. BLSM
4. Centre for Advocacy and Research
5. DAV Baliga Memorial Trust
6. Hazards Centre
7. Jagori
8. Josh
9. Lok Adhikar All India Kachra Shramik Maha Sangh
10. Matri Sudha
11. National Federation of Indian Women
12. Pairvi
13. Parivartan
14. Satark Nagrik Sangathan
15. South Asian Dialogues on Ecological Democracy

Appendix 2 List of areas where the survey was conducted

1. Badali
2. Bavana, JJ Colony
3. Bhalswa
4. Budh Vihar
5. Buradi
6. Dakshin Puri
7. Darya Ganj
8. Dhobu Ghat, ITO
9. Greater Kailash
10. Haidarpur
11. Hari Nagar
12. Harsa Vihar
13. Hudco Place
14. Indira Camp, Andrews Ganj
15. Indira Puri
16. Jahangir Puri
17. Kabir Nagar, Mukundpur (North)
18. Kalkaji
19. Karampura
20. Kidwai Nagar
21. Krishna Vihar
22. Madangir

23. Madanpur Khadar, JJ Colony
24. Madipur
25. Mandaoli Extension
26. Mangol Puri (North West)
27. Mehrauli
28. Minto Road
29. Nand Nagari
30. Old Seemapuri
31. Paschim Puri
32. Peera Gari
33. Priyanka Camp
34. Ram Nagar
35. Rangpur Kusumpur Pahadi
36. Rithala
37. Saboli Khadda
38. Sagarpur
39. Sangam Vihar
40. Sanjay Amar Colony
41. Sanjay Camp
42. Sanjay Colony, Okhla Phase 1 and 2
43. Shahbad Dairy
44. Shakar ki Dandi, Khwaja Meer Dard
45. Shalimar Bagh
46. Shastri Nagar
47. Sonia Vihar
48. Sri Ram Colony
49. Srinivas Puri
50. Sultan Puri
51. Tahirpur Kusht Ashram
52. Takia Kalekhan
53. Tilak Bridge
54. Trilok Puri
55. Turkman Road
56. Uttam Nagar
57. 100 Quarters